

पत्र सं0-सी0वी0प0-01/2017...../जे0

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रधान अपर महाधिवक्ता सं0-1

महाधिवक्ता का कार्यालय,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष लंबित वर्ष 2013 तक के अवमाननावाद से संबंधित सभी मामलों को अगले 2/3 माह के अन्दर निष्पारित कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-315, दिनांक-28.01.2017 के संदर्भ में कहना है कि अवमाननावाद से संबंधित वर्ष, 2013 तक के सभी ऐसे मामलों को लोक अदालत के समक्ष उपस्थापित किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने अथवा अन्यथा की स्थिति में एल0पी0ए0/एस0एल0पी0 दायर करने हेतु तीन माह का समय लिये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

पटना, दिनांक.....
०६-०२-१७

ज्ञाप संख्या.....
651/जे0

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार/विकास आयुक्त, पटना/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी संबंधित विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21 फरवरी २०१७
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।
सं. ६५१
६२०१७